रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14072026-274484
CG-MH-E-14072026-274484

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948
No. 447] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 10 जुलाई , 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/312.— बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क(2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में –

I. विनियम 40(7) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(7) सूचीबद्ध एंटिटी को शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) के ट्रांसफर (अंतरण) और ट्रांसमिशन (पारेषण) की प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले सभी प्रावधानों आदि का पालन करना होगा ।"

II. विनियम 61(4) में, शब्दों, अंकों तथा चिह्नों "प्रतिभूतियों के अंतरण और पारेषण (ट्रांसमिशन) हेतु विनियम 40 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी जिनमें अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया-संबंधी अपेक्षाएँ सम्मिलित हैं" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "को शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) के ट्रांसफर (अंतरण) और ट्रांसमिशन (पारेषण) के संबंध में विनियम 40 में दिए हुए प्रावधानों का पालन करने के साथ-साथ प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले प्रावधानों आदि का पालन करना होगा" आ जाएंगे ।

III. अनुसूची-VII में, खंड (ग) हट जाएगा ।

अमित प्रधान,कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./216/2026-27]

टिप्पणी:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 (अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013) 2 सितम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 22 जनवरी, 2026 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2026 (अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/295) द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th July, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/312.—In exercise of the powers conferred by section 11, section 11A(2) and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2026.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 –

   I. regulation 40(7) shall be substituted with the following, namely, -

   "(7) The listed entity shall comply with all procedural requirements with respect to transfer and transmission of securities as specified by the Board from time to time."

   II. in regulation 61(4), the words and symbol "specified in Schedule VII" shall be substituted with the words "as specified by the Board from time to time".

   III. in schedule VII, clause C shall be omitted.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./216/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013 and were last amended on 22nd January, 2026 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2026 vide notification no. SEBI/NRO-GN/2026/295.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.14 16:40:33 +05'30'